I/93087/2023

संख्याः 20/XXVI/एक(12)/2021

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

नियोजन अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 23 जनवरी 2022

विषय– राज्य के विभिन्न जिलाधिकारियों को प्रोजेक्ट फॉरमूलेशन, प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग एवं मार्केटिंग हेतु विषय विशेषज्ञ उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारियों की मांग पर प्रोजेक्ट फॉरमूलेशन, प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग एवं मार्केटिंग हेतु दो विषय विशेषज्ञ को रखे जाने के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आवश्यकतानुसार प्रत्येक जनपद में अधिकतम (02) दो विषय विशेषज्ञ को अनुबन्ध के आधार पर रखे जाने की अनुमति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. उक्त 02 विषय विशेषज्ञों को नियत मानदेय पर आवश्यकता के अनुसार अधिकतम 11 माह (ग्यारह माह) हेतु ही रखा जा सकेगा।
2. उक्त विषय विशेषज्ञों को किसी भी समय बगैर किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकता है।
3. उ क्त विषय विशेषज्ञों की योग्यता का निर्धारण जिलाधिकारी द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार किया जायेगा। विषय विशेषज्ञों की तैनाती Hire & Fire basis पर की जायेगी।
4. विषय विशेषज्ञों द्वारा किये गये कार्यो के आधार पर ही मानदेय का निर्धारण किया जायेगा। राज्य के सीमित वित्तीय संसाधन एवं आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत विषय विशेषज्ञों को कार्यो के आधार पर अधिकतम मानदेय रू1.00लाख (रूपये एक लाख मात्र) प्रतिमाह अनुमन्य होगा।
5. विषय विशेषज्ञों के मानदेय में होने वाले व्यय का भुगतान जिलाधिकारियों के निर्वतन पर उनके कार्यालय के संचालन/अधिष्ठान मद के अन्तर्गत संचालित मद संख्या–27 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान) की मद से वहन किया जायेगा।
6. विषय विशेषज्ञों की तैनाती पूर्णतः अस्थायी होगी तथा किसी भी रूप में उक्त कार्मिकों का नियमित नियुक्ति का दावा मान्य नही होगा।
7. विषय विशेषज्ञ के चयन से पूर्व सम्बन्धित विभाग के जिलास्तरीय अधिकारी से विचार–विमर्श उपरान्त विभाग की आवश्यतानुसार प्रस्ताव करने पर ही रखा जा सकेगा। यथा कृषि विभाग के कार्यो की तकनीकी अभिवृद्वि के लिए यदि विशेषज्ञ रखा जाना हो तो सम्बन्धित जिला कृषि अधिकारी से प्रस्ताव प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
8. विषय विशेषज्ञ द्वारा किये जा रहे कार्यो का त्रैमासिक मूल्याकंन अनिवार्य रूप से किया जायेगा व उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यो का मासिक लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा।
9. यदि विषय विशेषज्ञों की तैनाती वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में हो जाती है, तो विषय

I/93087/2023

विशेषज्ञो की नियुक्ति तिथि से 28.02.2023 तक तदोपरान्त आगामी वित्तीय वर्ष हेतु दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से आगामी 11 माह अथवा 29 फरवरी, 2024 तक, जो भी पहले घटित हो, कमशः निरन्तरता प्रदान की जायेगी।

10. कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या0– 111/XXX(2)/2018-30(12)/2018 दिनांक 27 अप्रैल, 2018 एवं संशोधित शासनादेश संख्या0–379/XXX(2)/2018-30(12)/2018 दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
12. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 यथा संशोधित 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1(लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
13. यह स्वीकृति वित्त अनुभाग–7 उत्तराखण्ड शासन के अशा0पत्र संख्याः I/91716/2023 दिनांक 17 जनवरी, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति की कम में निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by R. Meenakshi Sundaram
Date: 21-01-2023 12:52:44
(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्याः 30 / XXVI / एक (12) / 2021

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. - प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. - सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. - समस्त अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
4. - अपर सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
5. - महालेखाकार, उत्तराखण्ड निम्बुवाला, गढ़ी कैण्ट, देहरादून।
6. - निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड 23, लक्ष्मी रोड, देहरादून।
7. - समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. - वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
9. - एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. - गार्ड फाईल।

आज्ञा से

Signed by Yogendra Yadav
Date: 23-01-2023 15:16:10

(मेजर योगेन्द्र यादव)
अपर सचिव।